झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

2820
15/10/2024

संकल्प

विषयः–राज्य के अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेसिंया जैसे बैंकिंग/रेलवे भर्ती बोर्ड आदि द्वारा नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं तथा इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं लॉ पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु राज्य स्तरीय निःशुल्क कोचिंग संचालन की स्वीकृति के संबंध में।

पृष्ठभूमिः– झारखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, विभिन्न नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षाओं तथा इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं लॉ पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग सुविधा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। फलस्वरूप मेधा के बावजूद आवश्यक मार्गदर्शन एवं कोचिंग के अभाव में ऐसे छात्र/छात्राओं का चयन प्रतिशत उक्त परीक्षाओं में अपेक्षाकृत काफी कम है।

2. राज्य के अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसिंया जैसे बैंकिंग/रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं तथा इजीनियरिंग, मेडिकल एवं लॉ पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु राज्य स्तरीय निःशुल्क कोचिंग ***"मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना, 2024"*** संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उद्देश्यः– इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को रोजगार एवं रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कोचिंग सुविधा प्रदान कर उनके भविष्य की आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत अल्पसंख्यक छात्र/छात्रा अत्याधुनिक सुविधाओं सहित कोचिंग की सुविधा प्राप्त कर अन्य प्रतिभागियों के समान प्रतियोगिता/प्रवेश परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर योग्य बन सकेंगे।
4. राज्य के अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निम्नवत् निःशुल्क कोचिंग योजना लागू किया जाता है:–
   A. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग।
   B. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग।
   C. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/बैंकिंग/रेलवे/SSC द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग।
   D. इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं लॉ पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग।
5. वर्तमान में राज्य स्तर पर इस योजना का संचालन निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा। भविष्य में इसका विस्तार क्षेत्रीय स्तर पर भी किया जा सकेगा। राज्य हज समिति कार्यालय इस हेतु नोडल एजेन्सी एवं कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य हज समिति इसके नोडल पदाधिकारी होंगे।
6. अभ्यार्थियों की पात्रता हेतु अर्हत्तायें –

   6.1 संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग/ झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/ बैंकिंग/ रेलवे/ SSC आदि द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग के लिए –

   I. आवेदक को राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाईन स्थानीयता प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
   II. अल्पसंख्यक समुदाय का होने संबंधी निर्धारित विहित प्रपत्र में घोषण पत्र समर्पित करना होगा।
   III. आवेदक ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन वर्ष में 1 अगस्त से की जायेगी।
   IV. ऐसी अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी भी सेवा (सरकारी/गैर सरकारी) में कार्यरत् हो, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इस आशय का निर्धारित विहित प्रपत्र में घोषणा पत्र समर्पित करना होगा।
   V. चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ अधिकतम दो बार दिया जायेगा। इस आशय का निर्धारित विहित प्रपत्र में घोषणा पत्र समर्पित करना होगा।
   VI. ऐसे आवेदक जिनके अभिभावक की वार्षिक अधिकतम आय 8.00 लाख रूपये हैं, प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ऑनलाईन आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.2 इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं लॉ के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु होने वाली JEE, NEET एवं CLAT परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग के लिए –

I. आवेदक को राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इस आशय का सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत ऑनलाईन स्थानीयता प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
II. अल्पसंख्यक समुदाय होने संबंधित निर्धारित विहित प्रपत्र में घोषण पत्र समर्पित करना होगा।
III. आवेदक किसी सरकारी विद्यालय/महाविद्यालय के 11वीं कक्षा में अध्ययनरत् होंगे, जबकि लॉ की कोचिंग हेतु आवेदक सरकारी विद्यालय/महाविद्यालय में 11वीं कक्षा अथवा 12वीं कक्षा में अध्ययनरत् होंगे।
IV. चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ केवल एक बार दिया जायेगा। इस आशय का निर्धारित विहित प्रपत्र में घोषणा पत्र समर्पित करना होगा।
V. ऐसे आवेदक जिनके अभिभावक के वार्षिक आय अधिकतम 8.00 लाख रूपये हैं, प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ऑनलाईन आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(A) UPSC संघ लोक सेवा आयोग

7. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग का कार्य योजना निम्नवत् रखा जाएगा –

7.1 राज्य के कुल 40 चयनित अभ्यर्थियों को राँची में कोचिंग सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

7.2 अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया –

I. नोडल एजेन्सी द्वारा कंडिका–6.1 की आर्हत्ता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से यथा समय ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जायेगा। इस हेतु नोडल एजेन्सी द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों से अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित सीट तक निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा –
   a. विगत 3 वर्षो में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सर्वाधिक बार उत्तीर्ण की हो।
   b. गत वर्ष की संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
   c. विगत 3 वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा सर्वाधिक बार उत्तीर्ण की हो।
   d. राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों में प्राथमिकता का निर्धारण अभ्यर्थी के अधिकतम आयु के आधार पर किया जायेगा।
   e. संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में वर्तमान सत्र की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर कोचिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों में प्राथमिकता का निर्धारण अभ्यर्थी की अधिकतम आयु के आधार पर किया जायेगा।
   f. आवश्यकता होने पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु नोडल एजेन्सी द्वारा साक्षात्कार/परीक्षा का आयोजन कराया जा सकेगा।

II. कोचिंग हेतु निर्धारित कुल सीट में से 40 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इसके रिक्त रहने पर पात्र अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची से समायोजन किया जायेगा।

7.3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग योजना के तहत वर्ष 2024–25 में निम्न व्यय अनुमानित हैः–

क्रं०	मद	मदवार व्यय की राशि	कुल राशि (राशि रूपये में)
1	कोचिंग फी	रू० 80000 X 40 (रू० 80000 प्रति Student प्रति वर्ष)	3200000.00
2	पुस्तक	रू० 3000 X 40 (रू० 3000 प्रति Student प्रति वर्ष)	120000.00
3	स्टेशनरी	रू० 500 X 40 X 12 (रू० 500 प्रति Student प्रति माह, 12 माह)	240000.00
4	पोशाक	रू० 2000 X 40 (रू० 2000 दो सेट प्रति Student)	80000.00
		कुल योग :–	3640000.00

7.4. कोचिंग अवधि – संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की कोचिंग हेतु अभ्यर्थी 1 वर्ष (10–12 माह) का कोचिंग प्राप्त कर सकेंगे। साक्षात्कार हेतु चयनित होने पर चयनित एजेन्सी द्वारा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु कोचिंग की सुविधा अलग से प्रदान किया जायेगा।

(B) JPSC राज्य लोक सेवा आयोग

8. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग का कार्य योजना निम्नवत् रखा जाएगा –

8.1. राज्य के कुल 40 चयनित अभ्यर्थियों को राँची में कोचिंग सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

8.2. अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया –

I. नोडल एजेन्सी द्वारा कंडिका 6.1 की अहर्त्ता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से यथा समय ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जायेगा। इस हेतु नोडल एजेन्सी द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों से अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित सीट तक निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा –

a. विगत 3 वर्षो में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सर्वाधिक बार उत्तीर्ण की हो।

b. गत वर्ष की राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

c. विगत 3 वर्षों में राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा सर्वाधिक बार उत्तीर्ण की हो।

d. राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों में प्राथमिकता का निर्धारण अभ्यर्थी के अधिकतम आयु के आधार पर किया जायेगा।

e. राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में वर्तमान सत्र की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर कोचिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों में प्राथमिकता का निर्धारण अभ्यर्थी की अधिकतम आयु के आधार पर किया जायेगा।

f. आवश्यकता होने पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु नोडल एजेन्सी द्वारा द्वारा साक्षात्कार/परीक्षा का आयोजन कराया जा सकेगा।

II. कोचिंग हेतु निर्धारित कुल सीट में से 40 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इसके रिक्त रहने पर पात्र अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची से समायोजन किया जायेगा।

8.3 राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग योजना के तहत वर्ष 2024–25 में निम्न व्यय अनुमानित है:–

क्रं०	मद	मदवार व्यय की राशि	कुल राशि (राशि रूपये में)
1	कोचिंग फी	रू० 60000 X 40 (रू० 60000 प्रति Student प्रति वर्ष)	2400000.00
2	पुस्तक	रू० 3000 X 40 (रू० 3000 प्रति Student प्रति वर्ष)	120000.00
3	स्टेशनरी	रू० 500 X 40 X 12 (रू० 500 प्रति Student प्रति माह, 12 माह)	240000.00
4	पोशाक	रू० 2000 X 40 (रू० 2000 दो सेट प्रति Student)	80000.00
कुल योग :–			2840000.00

8.4 कोचिंग अवधि – राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की कोचिंग हेतु अभ्यर्थी 1 वर्ष (10–12 माह) का कोचिंग प्राप्त कर सकेंगे। साक्षात्कार हेतु चयनित होने पर चयनित एजेन्सी द्वारा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु कोचिंग की सुविधा अलग से प्रदान किया जायेगा।

(C) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC)/बैंकिंग/रेलवे/SSC

9. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC)/बैंकिंग/रेलवे/SSC आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग का कार्य योजना निम्नवत् रखा जाएगा –

9.1. राज्य के कुल 40 चयनित अभ्यर्थियों को राँची में कोचिंग सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

9.2. अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया –

I. नोडल एजेन्सी द्वारा कंडिका 6.1 की अहर्त्ता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से यथा समय ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जायेगा। इस हेतु नोडल एजेन्सी द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों से अभ्यर्थी का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

II. कोचिंग हेतु निर्धारित कुल सीट में से 40 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इसके रिक्त रहने पर पात्र अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची से समायोजन किया जायेगा।

9.3. प्रवेश परीक्षा का स्वरूप –

I. प्रवेश परीक्षा का स्वरूप तत्समय में प्रचलित परीक्षा पैटर्न के अनुरूप होगा। जिसमें सामान्यतः समसामयिक विषय, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान तथा राज्यव्यवस्था, भारत तथा विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था

सामान्य विज्ञान तथा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, पर्यावरण, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, संख्यात्मक अभियोग्यता, गणितीय योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, झारखण्ड सामान्य ज्ञान इत्यादि विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।

II. परीक्षा आयोजित करने एवं आवश्यकता अनुसार पैटर्न में परिवर्तन करने का अधिकार नोडल एजेन्सी को होगा।

III. आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित प्रारूप में पावती–सह–प्रवेश पत्र अभ्यर्थी को तत्काल जारी किया जायेगा, ताकि पृथक से प्रवेश पत्र भेजने की आवश्यकता न हो एवं समय का बचत हो।

9.4. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC)/बैंकिंग/रेलवे/SSC आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग योजना के तहत वर्ष 2024–25 में निम्न व्यय अनुमानित है –

क्रं०	मद	मदवार व्यय की राशि	कुल राशि (राशि रूपये में)
1	कोचिंग फी	रू० 50000 X 40 (रू० 50000 प्रति Student प्रति वर्ष)	2000000.00
2	पुस्तक	रू० 3000 X 40 (रू० 3000 प्रति Student प्रति वर्ष)	120000.00
3	स्टेशनरी	रू० 500 X 40 X 12 (रू० 500 प्रति Student प्रति माह, 12 माह)	240000.00
4	पोशाक	रू० 2000 X 40 (रू० 2000 दो सेट प्रति Student)	80000.00
		कुल योग :–	2440000.00

9.5. कोचिंग अवधि – वर्ष में 10 माह का कोचिंग सत्र आयोजित किया जायेगा।

(D) इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं लॉ

10. इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं लॉ पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग का कार्य योजना निम्नवत् रखा जाएगा –

10.1. इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं लॉ पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु राज्य के कुल 120 चयनित छात्र/छात्राओं को राँची में कोचिंग सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। परीक्षावार सीटों का निर्धारण निम्नवत् होगा –

I. (a) इंजीनियरिंग – 40 सीट
(b) मेडिकल – 40 सीट
(c) लॉ – 40 सीट

II. कोचिंग/कोर्स आरम्भ होने के अगले वर्ष से छात्र–छात्राओं की संख्या दोगुनी अर्थात 240 होगी।

III. कोचिंग हेतु निर्धारित कुल सीट में से 40 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इसके रिक्त रहने पर पात्र अभ्यर्थियों की मेधा सूची से समायोजन किया जायेगा।

10.2. छात्र/छात्राओं का चयन –

I. झारखण्ड अधिविध परिषद्, राँची द्वारा अलग–अलग पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर छात्र/छात्राओं का चयन किया जायेगा।

II. कंडिका–6.2 की अर्हत्ता पूर्ण करने वाले छात्र/छात्रा प्रवेश परीक्षा के पात्र होंगे।

10.3. चयनित छात्र/छात्राओं का नामांकन स्थानान्तरण प्रमाण पत्र क आधार पर तथा माता–पिता/अभिभावक की सहमति से राँची जिला के विद्यालय/महाविद्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची के सहयोग से कराया जायेगा।

10.4. इस कोचिंग योजना के तहत वर्ष 2024–25 में निम्न व्यय अनुमानित है –

I. इंजीनियरिंग –

क्रं०	मद	मदवार व्यय की राशि	कुल राशि (राशि रूपये में)
1	कोचिंग फी	रू० 70000 X 40 (रू० 70000 प्रति Student प्रति वर्ष)	2800000.00
2	पुस्तक	रू० 4000 X 40 (रू० 4000 प्रति Student प्रति वर्ष)	160000.00
3	स्टेशनरी	रू० 750 X 40 X 10 (रू० 750 प्रति Student प्रति माह, 10 माह)	300000.00
4	पोशाक	रू० 2000 X 40 (रू० 2000 प्रति Student, दो सेट)	80000.00
		कुल योग :–	3340000.00

II. मेडिकल –

क्रं०	मद	मदवार व्यय की राशि	कुल राशि (राशि रूपये में)
1	कोचिंग फी	रू० 70000 X 40 (रू० 70000 प्रति Student प्रति वर्ष)	2800000.00
2	पुस्तक	रू० 4000 X 40 (रू० 4000 प्रति Student प्रति वर्ष)	160000.00
3	स्टेशनरी	रू० 750 X 40 X 10 (रू० 750 प्रति Student प्रति माह, 10 माह)	300000.00
4	पोशाक	रू० 2000 X 40 (रू० 2000 प्रति Student, दो सेट)	80000.00
		कुल योग :–	3340000.00

III. लॉ –

क्रं०	मद	मदवार व्यय की राशि	कुल राशि (राशि रूपये में)
1	कोचिंग फी	रू० 70000 X 40 (रू० 70000 प्रति Student प्रति वर्ष)	2800000.00
2	पुस्तक	रू० 3000 X 40 (रू० 3000 प्रति Student प्रति वर्ष)	120000.00
3	स्टेशनरी	रू० 500 X 40 X 12 (रू० 500 प्रति Student प्रति माह, 12 माह)	240000.00
4	पोशाक	रू० 2000 X 40 (रू० 2000 प्रति Student, दो सेट)	80000.00
		कुल योग :–	3240000.00

10.5. कोचिंग अवधि – कोचिंग अवधि 02 वर्षो (11th + 12th) की होगी एवं प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 10 माह का कोचिंग सत्र रहेगा। इसमें 11वीं तथा 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के साथ–साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं लॉ पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग प्रदान की जायेगी। लॉ पाठ्यक्रम के वैसे अभ्यर्थी जो 12वीं कक्षा में कोचिंग हेतु प्रवेश लेंगे उनको 1 वर्ष (10–12 माह) की कोचिंग प्रदान की जायेगी।

11. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना, 2024 को प्रभावी रूप से मार्गदर्शित एवं अनुश्रवण हेतु उच्च स्तर पर एक "अनुश्रवण समिति" निम्नवत् गठित होगी –

I	प्रधान सचिव/सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	–अध्यक्ष
II	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	–सदस्य
III	विभाग के विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव	–सदस्य
IV	वित्त विभाग के प्रतिनिधि	–सदस्य
V	मंत्रिमण्डल सचिवलय एवं निगरानी विभाग के प्रतिनिधि	–सदस्य
VI	कार्यपालक पदाधिकरी, राज्य हज समिति	–सदस्य सचिव
VII	अध्यक्ष द्वारा नामित विशेष आमंत्रित विशेषज्ञ	–सदस्य

12. योजना को प्रभावी रूप से संचालित करने हेतु एक "संचालन समिति" निम्नवत् गठित होगी –

I	कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य हज समिति–सह–नोडल पदाधिकारी	–अध्यक्ष
II	विभाग के उप सचिव/अवर सचिव	–सदस्य
III	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड	–सदस्य
IV	जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची	–सदस्य
V	जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची	–सदस्य
VI	अध्यक्ष द्वारा नामित विशेष आमंत्रित विशेषज्ञ	–सदस्य
VII	केन्द्र समन्वयक	–सदस्य

13. कोचिंग केन्द्र – कोचिंग संचालन हेतु हज हाउस, राँची कोचिंग केन्द्र होगा। स्थान की कमी/आवश्यकतानुसार अन्य उपयुक्त सरकारी भवनों का उपयोग कोचिंग केन्द्र हेतु किया जा सकेगा।

14. छात्र/छात्राओं का आवासन–

I. राँची स्थित अल्पसंख्यक छात्रावासों में उपलब्धता के अनुसार कोचिंग के छात्र/छात्राओं का भविष्य में आवासन जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

II. कोचिंग केन्द्र के समीप उपलब्ध सरकारी भूमि पर 100–100 बेड का चार छात्रावास (दो छात्रों एवं दो छात्राओं) हेतु निर्माण हेतु परियोजना निदेशक आई०टी०डी०ए०, राँची द्वारा विभाग को योजना प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

15. कोचिंग केन्द्र के संचालन हेतु नोडल एजेन्सी के अन्तर्गत/अधीन एक कोचिंग कोषांग गठित होगा, जिसमें बाहयश्रोत पर निम्नरूपेण कर्मी रखे जायेगें।

बाहयश्रोत कर्मी	संख्या	अभ्युक्ति
केन्द्र समन्वयक – सह – HR Manager	01	जैप–आई०टी० द्वारा अद्यतन निर्धारित दर पर मानदेय भुगतान
लिपिक – सह – Data Entry Operator	01	
सफाई कर्मी	02	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अद्यतन निर्धारित दर पर भुगतान
सुरक्षा प्रहरी	02	गृह रक्षा वाहिनी, राँची द्वारा प्रतिनियुक्ति से प्राप्त

16. कोचिंग संस्था का चयन –

I. कोचिंग संस्थाओं का चयन/पंजीकरण नोडल एजेन्सी द्वारा रूची की अभिव्यक्ति के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कर किया जायेगा।

II. रूचि की अभिव्यक्ति हेतु फार्म डाक्यूमेंट नोडल एजेन्सी द्वारा तैयार किया जायेगा, इसमें निजी कोचिंग संस्थानों के लिए निम्नांकित मानकों का अवश्य उल्लेख होगा –

a. कोचिंग संस्था, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम–1860/कम्पनीज एक्ट 1956/इंडियन पार्टनरशिप एक्ट/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)/भारत सरकार अथवा झारखण्ड राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक्ट के तहत पंजीकृत होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जायेगी।

b. संस्था का पैन (PAN) एवं टैन (TAN) नम्बर/GST आदि नम्बर अनिवार्यतः होना चाहिए।

c. विगत 3 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट एवं इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की प्रति।

d. विगत 03 वर्षों का परीक्षा परिणाम एवं सफलता का प्रतिशत।

e. फैकल्टी का विवरण (योग्यता एवं अनुभव सहित)।

f. इसके अतिरिक्त अन्य मानको का निर्धारण नोडल एजेन्सी द्वारा प्रकाशित "रूचि की अभिव्यक्ति" में किया जा सकेगा।

g. प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन अनुश्रवण समिति के द्वारा किया जायेगा एवं पात्र संस्थाओं को प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया जायेगा। गुणात्मक मूल्यांकन के 70 प्रतिशत एवं वित्तीय दर की 30 प्रतिशत वेटेज के आधार पर गणना कर संस्थाओं का चयन मेरिट क्रम में अनुश्रवण समिति के द्वारा किया जा सकेगा।

h. कोचिंग संस्थाओं का चयन 2 वर्षों के लिए किया जायेगा। यदि इस अवधि में संस्था का कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है तो संस्था से अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा एवं कोचिंग संस्था द्वारा बीच मे कोचिंग छोड़ देने की स्थिति में भुगतान की गयी राशि 25% दण्ड के साथ एकमुश्त वसूल की जा सकेगी। विशिष्ट परिस्थिति में संस्थाओं का अनुबंध अधिकतम एक वर्ष हेतु और बढ़ाया जा सकेगा, तदोपरान्त नये प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे।

i. चयनित कोचिंग संस्था को विभाग द्वारा शर्तों के अधीन नोडल एजेन्सी से नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सर्शत अनुबंध करना होगा।

17. कोचिंग संस्था का दायित्व –

I. कोचिंग हेतु चयनित छात्र/छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी हेतु उत्तम कोचिंग प्रदान करना।

II. छात्र/छात्राओं का टेस्ट सीरिज के माध्यम से मूल्यांकन करना एवं अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु साकारात्मक प्रयास करना।

III. कोचिंग संस्था में समय–समय पर मार्गदर्शन/उत्साहवर्धन हेतु प्रेरणात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

IV. समय–समय पर छात्र/छात्राओं के प्रगति प्रतिवेदन से नोडल एजेन्सी को अवगत कराना।

V. कोचिंग हेतु चयनित छात्र/छात्राओं के लिए स्टडी मटेरियल कोचिंग संस्था के द्वारा तैयार किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार छात्र/छात्राओं को वितरित किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु कोचिंग केन्द्र में अध्ययन सामग्री वितरण पंजी रखना होगा।

VI. कैरियर काउंसिलिंग/कार्यशाला/मोटिवेशनल/सेमिनार आदि का आयोजन कोचिंग संस्था के द्वारा ससम–समय पर आयोजित किया जायेगा।

VII. छात्र/छात्राओं का आवश्यकतानुसार पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक एवं छमाही टेस्ट लेना होगा एवं मूल्यांकन करना होगा। मूल्यांकन के आधार पर सुधार हेतु सुझाव तथा अध्यापन की गुणवत्ता मे सुधार लाने हेतु सतत सकारात्मक प्रयास करना होगा। टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अभिलेख संस्था को सुरक्षित रखना होगा।

VIII. चयनित छात्र/छात्राओं मे ऑनलाईन आवेदन करने की व्यवस्था का दायित्व कोचिंग संस्था का होगा। छात्र/छात्राओं की परीक्षा परिणाम का फॉलोअप भी कोचिंग संस्था को करना होगा। साथ ही नोडल एजेन्सी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

IX. कक्षा में अनुशासन बनाये रखने का दायित्व कोचिंग संस्था का होगा।

X. कोचिंग कक्षा का समय–समय पर निरीक्षण एवं मूल्यांकन नोडल एजेन्सी द्वारा अधिकृत अधिकारियों के द्वारा किया जा सकेगा।

XI. चयनित कोचिंग संस्था द्वारा कोचिंग केन्द्र पर छात्र/छात्राओं के लिए विषय विशेषज्ञ, स्टेशनरी, पुस्तकें, स्टडी मेटेरियल, नियमित मासिक, त्रैमासिक, छमाही टेस्ट, व्यक्तिगत विकास, इंग्लिश स्पोकन, साक्षात्कार के कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

XII. कोचिंग संस्था अपने सभी कार्य नोडल एजेन्सी के देखरेख (Guidance) में करेगी।

18. कोचिंग संस्था को राशि भुगतान –

I. कोचिंग संस्था को प्रस्तावित/निर्धारित राशि का भुगतान 20:30:30:20 के अनुपात में की जायेगी। एकरारनामा/अनुबंध के समय प्रथम 20% का भुगतान किया जायेगा। कोचिंग अवधि के चौथे/पांचवे माह में द्वितीय किस्त 30% एवं आठवे/नौवे माह में तृतीय किस्त 30% का भुगतान किया जायेगा। शेष 20% राशि का भुगतान कोचिंग अवधि की समाप्ति के उपरान्त संचालन समिति की अनुशंसा पर नोडल एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

II. चयनित कोचिंग एजेन्सी को राशि का भुगतान आयकर TDS/GST आदि सभी करों की कटौती के उपरान्त किया जायेगा।

19. UPSC एवं JPSC कोचिंग के अभ्यर्थियों के आवेदनों की अहर्त्ता एवं पात्रता के अनुरूप परीक्षण करने एवं अंतिम चयन सूची जारी करने हेतु संचालन समिति को अधिकार होगा।

20. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC)/बैंकिंग/रेलवे/SSC एवं इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं लॉ के कोचिंग हेतु अभ्यर्थी का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर अन्तिम चयन सूची जारी करने हेतु संचालन समिति को अधिकार होगा।

21. संचालन समिति द्वारा सभी परीक्षा के पैटर्न के अनुसार वार्षिक विस्तृत कैलेण्डर निर्धारित किया जायेगा। संचालन समिति नियमित रूप से बैठक आयोजित कर सभी कमियों को तत्काल दूर करने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेगी।

22. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना, 2024 के सफल एवं प्रभावी संचालन हेतु कोचिंग केन्द्र पर सभी आवश्यक Infrastructure का क्रय संचालन समिति की अनुशंसा पर नोडल एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। नोडल एजेन्सी द्वारा पुस्ताकलय–सह–वाचनालय (Librery-cum-Reading room) की भी स्थापना की जायेगी। विगत वर्षों के इस मद में प्राप्त संचित निधि का उपयोग आवश्यक अधोसंरचना/पुस्तक/फर्नीचर/स्मार्ट बोर्ड आदि क्रय हेतु किया जायेगा।

23. योजना के तहत सभी पाठ्यक्रमों में आच्छादित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और वर्षवार बजट का अनुमोदन/परिवर्तन अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा किया जा सकेगा।

24. इस योजना अन्तर्गत सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष आवर्ती मद में कुल 25443400.00 (दो करोड़ चौवन लाख तैंतालिस हजार चार सौ रूपये) मात्र का व्यय भार अनुमानित है, जिसकी विवरणी निम्नांकित है–

क्रं०	मद	मदवार व्यय की राशि	कुल राशि (राशि रूपये में)
1	कोचिंग फी (UPSC, 40 Student)	रू० 80000 X 40 (रू० 80000 प्रति Student प्रति वर्ष)	3200000.00
2	कोचिंग फी (JPSC, 40 Student)	रू० 60000 X 40 (रू० 60000 प्रति Student प्रति वर्ष)	2400000.00
3	कोचिंग फी (JSSC/बैंकिंग/रेलवे/SSC, 40 Student)	रू० 50000 X 40 (रू० 50000 प्रति Student प्रति वर्ष)	2000000.00
4	कोचिंग फी (इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं लॉ, 120 Student)	रू० 70000 X 120 (रू० 70000 प्रति Student प्रति वर्ष)	8400000.00
5	पुस्तक UPSC, JPSC, (JSSC/बैंकिंग/रेलवे/SSC एवं लॉ, 160 Student)	रू० 3000 X 160 (रू० 3000 प्रति Student प्रति वर्ष)	480000.00
6	पुस्तक इंजीनियरिंग,एवं मेडिकल, 80 Student)	रू० 4000 X 80 (रू० 4000 प्रति Student प्रति वर्ष)	320000.00
7	स्टेशनरी UPSC, JPSC, (JSSC/बैंकिंग/रेलवे/SSC एवं लॉ, 160 Student)	रू० 500 X 160 X 12 (रू० 500 प्रति Student प्रति माह, 12 माह)	960000.00
8	स्टेशनरी इंजीनियरिंग,एवं मेडिकल, 80 Student)	रू० 750 X 80 X 10 (रू० 750 प्रति Student प्रति माह, 10 माह)	600000.00
9	पोशाक	रू० 2000 X 240 (रू० 2000 प्रति Student, दो सेट) 240 Students	480000.00
10	अन्य मद		
i	पत्र–पत्रिका	इंजीनियरिंग एवं मेडिकल – 600 X 10 = 6000 लॉ - 600 X 12 = 7200 UPSC, JPSC, (JSSC/बैंकिंग/रेलवे/SSC - 600 X 12 = 7200	20400.00
ii	चिकित्सा		300000.00
iii	खेल		300000.00
iv	अन्य व्यय (इन्टरनेट कनेक्शन, DTH, बस किराया, मोबाईल रिचार्ज, कम्प्यूटर रख–रखाव एवं आकस्मिक व्यय, टैब आदि)		4500000.00
v	मानदेय (केन्द्र समन्वयक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मी एवं सुरक्षा गार्ड)		1483000.00
	कुल योग :–		25443400.00

25. उक्त योजना पर वार्षिक व्यय का वहन मांग संख्या–30–अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग), राज्य योजना मुख्य शीर्ष–4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना एवं 277–शिक्षा, उप शीर्ष–24–कोचिंग एण्ड एलाईड–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–35–कोचिंग व्यय–विपत्र कोड–30S422580796240003335 एवं 30S422580277240003335 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

26. योजना के उल्लेखित प्रावधान में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन एवं विवेचना का अधिकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को होगा। योजना अन्तर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

27. योजना का विस्तृत मार्गनिर्देशिका विभाग द्वारा अलग से निर्गत किया जायेगा।

28. इसपर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–08.10.2024 की बैठक में मद संख्या–64 के तहत स्वीकृति प्राप्त है।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–5/अल्प० कोचिंग–19/2021 - 2820 राँची, दिनांक– 15/10/2024

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस संकल्प को आगामी झारखण्ड गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी 300 प्रति विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–5/अल्प० कोचिंग–19/2021 - 2820 राँची, दिनांक– 15/10/2024

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० व हक०), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण), झारखण्ड के आप्त सचिव/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/आदिवासी कल्याण आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उपविकास आयुक्त/सभी परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी विशिष्ट पदाधिकारी, पहाड़िया कल्याण/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी/बजट प्रशाखा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–5/अल्प० कोचिंग–19/2021 - 2820 राँची, दिनांक– 15/10/2024

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई गजट, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त संकल्प को गजट में प्रकाशनार्थ आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव